NewsBroadcastersAssociation
NBA

जनरल एंटरटेनमेंट फुटेज के प्रयोग के सम्बन्ध में एन. बी. ए. की न्यूज़ एक्सेस गाइडलाइन्स
(NBA News Access Guidelines for General Entertainment Footage)

परिचय

1. ये गाइडलाइन्स न्यूज़ ब्राडकास्टर्स द्वारा जनरल एंटरटेनमेंट फुटेज के प्रयोग के सम्बन्ध में जारी की जा रही हैं और एन. बी. ए. के सभी सदस्यों/एसोसिएट सदस्यों द्वारा इसका पालन किया जायेगा। न्यूज़ ब्राडकास्टर्स को यह बात समझनी चाहिए कि जनरल एंटरटेनमेंट की सामग्री किसी भी प्रकार से न्यूज़ चैनलों के लिए मुख्य विषय–वस्तु नहीं हो सकती और न्यूज़ चैनलों को जनरल एंटरटेनमेंट फुटेज को कम से कम और केवल तभी इस्तेमाल करना चाहिए (नीचे लिखी गाइडलाइन्स के तहत) जब ऐसी फुटेज का प्रयोग समाचारों की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो या किसी प्रकार किसी समाचार या समसामयिक विषय से सम्बन्धित हो।

परिभाषाएं

2. बोल्ड व रेखांकित शब्दों के अर्थ इस न्यूज एक्सेस गाइडलाइन की अनुसूची में दिये गये हैं।

'फ्रेश फुटेज' का प्रयोग

3. नीचे दिये पैरा 6 से 10 के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए न्यूज़ ब्राडकास्टर अधिकतम 8 मिनट तक फ्रेश GE (जनरल एंटरटेनमेंट) फुटेज प्रति न्यूज दिवस प्रसारित कर सकता है। यह समस्त फुटेज किसी एक या एक से अधिक जनरल एंटरटेनमेंट ब्राडकास्टर्स की हो सकती है और नीचे दिये गये प्रावधानों के अनुसार इसका रिपीट प्रसारण हो सकता है :

   3.1 जनरल एंटरटेनमेंट ब्राडकास्टर्स द्वारा न्यूज़ ब्राडकास्टर्स को 'इलेक्ट्रानिक प्रेस किट' (EPK) के अन्तर्गत उपलब्ध करायी गयी फुटेज को भी उपरोक्त 8 मिनट की सीमा में ही जोड़ा जायेगा ;

   3.2 किसी एक जनरल एंटरटेनमेंट ब्राडकास्टर के किसी एक कार्यक्रम से 3 मिनट से ज्यादा का फ्रेश GE फुटेज नहीं प्रयोग किया जायेगा ;

   3.3 ऊपर उल्लिखित फ्रेश GE फुटेज को एक न्यूज दिवस में दो बार रिपीट किया जा सकता है अर्थात वही फुटेज जिसका पहली बार प्रयोग किया गया, उसे ही उस न्यूज दिवस के भीतर 2 बार रिपीट किया जा सकता है;

   3.4 जनरल एंटरटेनमेंट ब्राडकास्टर्स से प्राप्त ऊपर उल्लिखित फुटेज या उसके किसी भाग को न्यूज ब्राडकास्टर्स किसी अन्य थर्ड पार्टी को नहीं दे सकता।

   फ्रेश GE फुटेज या उसके रिपीट के बारे में उपरोक्त प्रतिबन्ध सम्बन्धी प्रावधान समाचारों की दृष्टि से महत्वपूर्ण किसी असाधारण घटना पर नहीं लागू होंगे और ऐसी असाधारण घटना का फुटेज समाचार कार्यक्रमों में सामान्य तौर पर दिखाया जा सकेगा।

4. कोई भी फ्रेश GE फुटेज को न्यूज ब्राडकास्टर किसी भी स्थिति में 'लाइव' नहीं प्रसारित कर सकते। मूल जनरल एंटरटेनमेंट ब्राडकास्टर/अधिकृत ब्राडकास्टर द्वारा प्रसारित किये जाने के 7 मिनट बाद ही किसी फ्रेश GE फुटेज का न्यूज ब्राडकास्टर ऊपर पैरा 3 में दिये गये प्रावधानों के तहत प्रसारित कर सकेंगे।

आर्काइवल फुटेज का प्रयोग

5. नीचे दिये गये पैरा 6 से 10 के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए न्यूज़ ब्राडकास्टर प्रति न्यूज़ दिवस अधिकतम 2 मिनट का आर्काइवल फुटेज प्रयोग कर सकेंगे और उसके रिपीट पर भी फ्रेश GE फुटेज के रिपीट के सम्बन्ध में दिये गये समस्त प्रावधान लागू होंगे।

व्यावसायिक गाइडलाइन्स

6. फ्रेश GE फुटेज के सम्बन्ध में ऊपर दिये गये पैरा 3 व 4 तथा आर्काइवल फुटेज के बारे में पैरा 5 के प्रावधानों के अनुसार इनमें से किसी भी फुटेज का प्रयोग न्यूज़ ब्राडकास्टर केवल अपने न्यूज़ व करंट अफेयर्स कार्यक्रमों के लिए ही कर सकेंगे और किसी भी स्थिति में किसी व्यावसायिक/वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए उक्त फुटेज के प्रयोग की अनुमति नहीं होगी।

7. यहां ये स्पष्ट करना आवश्यक है कि न्यूज ब्राडकास्टर अपने सामान्य न्यूज/या करंट अफेयर्स कार्यक्रमों के लिए जिनमें फ्रेश GE फुटेज या आर्काइवल फुटेज का इस्तेमाल किया गया हो, सामान्य तौर पर प्रायोजक के विज्ञापन/सामान्यतया लिये जाने वाले कमर्शियल ब्रेक ले सकते हैं, लेकिन नीचे दिये गये पैरा 8 से 10 में उल्लिखित प्रावधानों के अलावा किसी भी स्थिति में किसी भी फ्रेश GE फुटेज और/या आर्काइवल फुटेज के ठीक पहले, ठीक बाद में या फुटेज के बीच में कहीं भी कोई विज्ञापन, स्टिंग, लोगो, ग्राफिक्स और/या अन्य किसी भी प्रकार से कोई कमर्शियल मार्फिंग (Morphing) आदि नहीं कर सकते और फ्रेश GE फुटेज और/या आर्काइवल फुटेज के साथ किसी भी थर्ड पार्टी के ब्रांड या उत्पादन का किसी भी रुप में कोई सम्बन्ध नहीं जोड़ा जा सकता।

क्रेडिट सम्बन्धित दिशा–निर्देश

8. फ्रेश GE फुटेज और/या आर्काइवल फुटेज के इस्तेमाल की पूरी अवधि के दौरान न्यूज़ ब्राडकास्टर को मूल फुटेज का प्रसारण करने वाले 'होस्ट ब्राडकास्टर' का 'सौजन्य बग' लगातार स्क्रीन पर बनाये रखना होगा।

9. न्यूज़ ब्राडकास्टर जहां–जहां जिस रुप में किसी GE प्रोग्राम का उल्लेख कर रहा हो, वहां–वहां उसे GE प्रोग्राम और उसके लोगो (Logo) का सही–सही उल्लेख करना होगा, चाहे उस समय किसी फ्रेश GE फुटेज और/या आर्काइवल फुटेज का इस्तेमाल किया गया हो या न किया गया हो।

10. यदि न्यूज़ ब्राडकास्टर के अपने लोगो (Logo) के कारण GE प्रोग्राम का लोगो (Logo) ढक जा रहा हो तो न्यूज़ ब्राडकास्टर को अपने स्क्रीन के निचले हिस्से में या और कहीं पर सौजन्य लाइन अवश्य देनी होगी।

अतिरिक्त फुटेज

11. इस गाइडलांइस में दी गयी फुटेज के प्रयोग की निर्धारित सीमा (चाहे फ्रेश फुटेज हो या आर्काइवल फुटेज) से अतिरिक्त अधिक फुटेज का इस्तेमाल न्यूज़ ब्राडकास्टर और जनरल एंटरटेनमेंट ब्राडकास्टर के बीच किसी पृथक अनुबन्ध या करार के तहत ही किया जा सकता है, अन्यथा नहीं।

सामान्य बिन्दु

12. फुटेज की क्वालिटी बनाये रखने के उद्देश्य से कोई न्यूज़ ब्राडकास्टर इंटीग्रेटेड रिसीवर–डिकोडर्स (आईआरडीएस) के जरिए द्विपक्षीय करार के अन्तर्गत जनरल एंटरटेनमेंट ब्राडकास्टर्स की फुटेज प्राप्त कर सकता है।

13. 'इलेक्ट्रानिक प्रेस किट' के तहत प्राप्त फुटेज के अलावा न्यूज़ ब्राडकास्टर जो भी GE फुटेज दिखायेंगे, उसमें यदि वयस्क सामग्री हो या अन्य किसी प्रकार से वह फुटेज सामान्य श्रेणी की सामग्री के लिए तय की गयी अवधि में जनरल एंटरटेनमेंट ब्राडकास्टर ने नहीं दिखायी हो तो उसके कारण उठनेवाले किसी विवाद या समस्या के लिए स्वयं न्यूज़ ब्राडकास्टर ही जिम्मेदार होगा। लेकिन यदि ऐसा कोई विवाद 'इलेक्ट्रानिक प्रेस किट' (EPK) के तहत प्राप्त फुटेज को लेकर उठता है, तो उसके लिए जनरल एंटरटेनमेंट ब्राडकास्टर ही जिम्मेदार होगा।

14. एनबीए, अपने विवेकाधिकार के तहतं, सदस्यों द्वारा इन दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी करेगा और एनबीए इस उद्देश्य के लिये न्यूज ब्राडकास्टरों के कार्यक्रम (प्रोग्रामिंग) में जनरल एंटरटेनमेंट फूटेज के इस्तेमाल से संबंधित जानकारी (फूटेज समेत) मांग सकता है। एनबीए इन दिशानिर्देशों के उल्लंघन से संबंधित जानकारियां अपने सभी सदस्यों के बीच प्रसारित करने के लिये अधिकृत होगा।

अनुसूची

परिभाषाएं

"आर्कइवल फुटेज" का अर्थ है किसी GE प्रोग्राम की ऐसी फुटेज जिसके प्रसारण को समाप्त हुए 24 घंटे या उससे अधिक की अवधि बीत गयी हो ;

"न्यूज ब्राडकास्टर" से अर्थ है उन सभी न्यूज ब्राडकास्टर्स से जो एन.बी.ए. के सदस्य या एसोसिएट सदस्य हों ;

"असाधारण घटना" का अर्थ है समाचारों की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण ऐसी कोई असाधारण घटना जो किसी GE प्रोग्राम के सम्बन्ध में GE प्रोग्राम के बाहर हुई हो या फिर उस घटना को GE प्रोग्राम के अन्तर्गत प्रसारित किया जा रहा हो ;

"फुटेज" का अर्थ है सभी प्रकार से रिकार्डेड और/या प्रसारित किये गये सिग्नल, जिसमें सभी प्रकार की आडियो, वीडियो और आडियो विजुअल सामग्री शामिल है, जिसका सम्बन्ध किसी थर्ड पार्टी जनरल एंटरटेनमेंट चैनल पर किये गये किसी ब्राडकास्ट से हो ;

"फ्रेश GE फुटेज" का अर्थ है कोई फुटेज (आर्कइवल फुटेज के अतिरिक्त) जिसे न्यूज ब्राडकास्टर ने पहली बार ब्राडकास्ट के प्रयोग में लिया हो ;

"GE प्रोग्राम" का अर्थ है कोई जनरल एंटरटेनमेंट प्रोग्राम या एपिसोड या सामग्री जैसा कि ब्राडकास्टिंग की सामान्य भाषा में समझा जाता है (जो स्पोर्ट्स या न्यूज़ प्रोग्राम से अलग हो) और जिसे किसी टीवी चैनल ने प्रसारित किया हो और जिसका स्वामित्व और/या प्रसारण किसी थर्ड पार्टी से सम्बन्धित हो ;

"होस्ट ब्राडकास्टर" का अर्थ है किसी GE प्रोग्राम के प्रसारण के लिए अधिकृत ब्राडकास्टर ;

"एन.बी.ए." का अर्थ है न्यूज ब्राडकास्टर्स एसोसिएशन, जो भारत में न्यूज चैनलों की प्रतिनिधि संस्था है ;

"न्यूज दिवस" का अर्थ है 24 घंटे की अवधि, जो 12 बजे दिन से शुरु हो कर अगले 12 बजे दिन पर समाप्त होती है।

21.9.2011 / 28.3.2012